30/11/2021 आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत ग्राम पंचायत डाडा फतेहपुरा में आयोजित कैम्प में पेश हुई। तहसीलदार खेतड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार प्रार्थीगण को उक्त भूमि विक्रय पत्र से प्राप्त हुई है जिसे शुद्ध किया जाना उचित नहीं है। मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र की प्रति पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। अतः तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट के आधार पर, प्रकरण भू० राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत बनना नहीं पाये जाने तथा साक्ष्यों के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली को सल शुमार व दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
...नी. झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.11 14:37:13 IST
Reason: SelfAttested